



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-30-04-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त रोहित विश्वकर्मा को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 338/2011 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित विश्वकर्मा उर्फ शेरू पुत्र विनोद विश्वकर्मा निवासी- कुसुम पैलेस के पीछे मोहल्ला खोजवा भेलूपुर जनपद वाराणसी को थाना सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 30-04-2024 को मा0 न्यायालय जेएम-II जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त रोहित विश्वकर्मा उपरोक्त को धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी